पाक्षिक समाचार

सम्पर्क

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

खण्ड–XXX अंक–07 15 अप्रैल, 2025

मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा।
बयस पलिअहिं अति अनुरागा। होहिं निरामिष कबहुँ कि कागा।

मैने अपनी ओर से विनती की है, परन्तु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिये, परन्तु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं ? ।। **रामचरितमानस (बालकाण्ड/1)**

स्वागत

- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2025/391369 दिनांक 08.04.2025 के अनुसार **डॉ. हथचिंगथेम हौकिप** ने 02.04.2025 से संस्थान के मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग में अंग्रेजी भाषा अनुदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2025/392641 दिनांक 15.04.2025 के अनुसार **प्रो. जोसफ वर्गीस पुथुसेरी** ने 07.04.2025 से संस्थान के सिविल इंजीनियरी विभाग में सातवें वेतन आयोग के वेतन लेवल-11 में सहायक प्रोफेसर, ग्रेड-II के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

  प्रो. जोसफ वर्गीस पुथुसेरी को उनकी नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) संस्थान द्वारा प्रायोजित ''युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप'' भी प्रदान की गई है।
- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2025/393984 दिनांक 17.04.2025 के अनुसार **सुश्री राधिका** ने 16.04.2025 से संस्थान के मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग में अंग्रेजी भाषा अनुदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2025/393987 दिनांक 17.04.2025 के अनुसार **डॉ. आमाल एस. चारूलता** ने 15.04.2025 से संस्थान के मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग में अंग्रेजी भाषा अनुदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2025/391840 दिनांक 09.04.2025 के अनुसार **डॉ. अंकिता प्रसाद** ने 25.03.2025 से संस्थान के मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग में अंग्रेजी भाषा में अनुदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

त्यागपत्र स्वीकृत

- स्थापना अनुभाग–1 से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/2025/389448 दिनांक 02.04.2025 के अनुसार **डॉ. असवथी एम.,** पोस्ट डॉक्टरल फेलो (अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विभाग) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 07.02.2025 से स्वीकार कर लिया है। अतः डॉ. असवथी एम. को 07.02.2025 से संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया गया हैं।
- स्थापना अनुभाग–1 से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/2025/393483 दिनांक 16.04.2025 के अनुसार **डॉ. श्वेता कुमारी,** पोस्ट डॉक्टरल फेलो (पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 03.04.2025 से स्वीकार कर लिया है। अतः डॉ. श्वेता कुमारी को 03.04.2025 से संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया गया हैं।
- स्थापना अनुभाग–1 से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/2025/394467 दिनांक 21.04.2025 के अनुसार **डॉ. शिवानी सिंह,** पोस्ट डॉक्टरल फेलो (अमर नाथ एवं शशि खोसला सूचना प्रौद्योगिकी स्कूल) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 03.05.2025 से स्वीकार कर लिया है। अतः डॉ. शिवानी सिंह को 03.05.2025 से संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया गया हैं।

ग्रुप 'ए' अधिकारियों (शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक) के लिए वार्षिक चिकित्सा परीक्षण

पूर्ववृत अधिसूचित परिपत्र सं. IITD/ICDN/2013/695 दिनांक 29.05.2013 के अनुसार संस्थान के सभी ग्रुप 'ए' अधिकारी (लेवल–10 और उससे ऊपर के शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक), जिनकी आयु 40 वर्ष या उससे अधिक है, को वार्षिक चिकित्सा परीक्षण करवाना होगा और अपने वार्षिक चिकित्सा मूल्यांकन की रिपोर्ट संस्थान को प्रस्तुत करनी होगी, जैसा कि 01 फरवरी, 2012 को DoPT के आदेश संख्या 21011/1/2009–स्था. (ए)–भाग में दर्शाया गया है।

वार्षिक चिकित्सा परीक्षण की सुविधा के लिए, साधु वासवानी मिशन मेडिकल सेंटर में एक एनएबीएल–मान्यता प्राप्त डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला में यह व्यवस्था की गई है, जो संस्थान के साथ सूचीबद्ध है। प्रयोगशाला CGHS वार्षिक चिकित्सा स्वास्थ्य जांच दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण करेगी। अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए संपर्क विवरण इस प्रकार हैं:

साधु वासवानी मिशन मेडिकल सेंटर,
4/27, शांतिनिकेतन,
नई दिल्ली–110021

वेबसाइट:
https://www.svmcdelhi.com

संपर्क 011–41472000, 011–2411–1562, 011–2411–4316, या 09354536766

नोट: आने से पहले, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे (सोमवार से शनिवार) के बीच उपरोक्त किसी भी नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करने का अनुरोध करें।

पात्र लाभार्थियों को मेडिकल जांच के लिए सीधे साधु वासवानी मिशन मेडिकल सेंटर को भुगतान करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में संस्थान द्वारा की जाएगी। प्रतिपूर्ति दावों को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रतिपूर्ति एकक को प्रस्तुत करना होगा। वार्षिक मेडिकल जांच के लिए CGHS की वर्तमान दरें इस प्रकार हैं:

i. पुरुषों के लिए पैकेज: ₹ 2,000 (CGHS पैकेज)
ii. महिलाओं के लिए पैकेज: ₹ 2,200 (CGHS पैकेज)

वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना में उल्लिखित नहीं किए गए किसी भी अतिरिक्त परीक्षण के लिए लाभार्थी को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा, जो CGHS द्वारा निर्धारित दर के अनुसार होगा। ऐसे परीक्षणों की प्रतिपूर्ति संस्थान के प्रतिपूर्ति नियमों के अधीन है।

संस्थान के सभी पात्र अधिकारियों से अनुरोध है कि वे 31 मई, 2025 से पहले अपनी वार्षिक चिकित्सा जांच करवा लें।

आई.आई.टी. दिल्ली–अबू धाबी परिसर के लिए नियुक्तियॉ/विस्तार

कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/AREG/4/(3)/2025/393454 दिनांक 16.04.2025 के अनुसार निदेशक महोदय ने निम्नलिखित संकायों को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–अबू धाबी के लिए नियुक्त/विस्तार किया है।

क्र. सं.	पदनाम	संकाय सदस्य का नाम एवं विभाग	अवधि
1.	प्रोवोस्ट	प्रो. जोबी जोसफ प्रकाशिकी एवं फोटोनिक्स केन्द्र	31.12.2026 तक विस्तार
2.	वाइस प्रोवोस्ट (संकाय मामले)	प्रो. निधि जैन रसायन विज्ञान	21.05.2025 से 30.06.2027 तक
3.	वाइस प्रोवोस्ट (संचालन)	प्रो. शशांक बिश्नोई सिविल इंजीनियरी	01.07.2025 से 30.06.2027 तक
4.	वाइस प्रोवोस्ट (छात्र मामले)	प्रो. हरि प्रसाद कोदामना रासायनिक इंजीनियरी	31.12.2025 तक विस्तार
5.	वाइस प्रोवोस्ट (विदेशी मामले)	प्रो. दिवाकर रक्षित उर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरी	16.04.2025 से 31.12.2025 तक

कृण्वंतो विश्वमार्यम्

यह आर्य समाज का 150वां स्थापना वर्ष है, जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल, 1875 (चैत्र शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत् 1932) को वैदिक ज्ञान के प्रकाश में समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले इस अभियान का प्रारंभ किया था। स्वाधीनता, स्वराज और स्वदेशी को समर्पित आर्य समाज की इस गौरवशाली यात्रा का संक्षेपण कर रहे हैं। ***नरेन्द्र आहूजा विवेक....***

ॐ इन्द्रं वर्धनतो अप्तुरः कृण्वंतो विश्वमार्यम्। अपघ्नंतो अरव्नः

(ऋग्वेद–9/63/5)

अर्थात मनुष्य को अपने अंदर से दुख और बुराइयों की प्रवृत्ति को हटाकर 'इंद्र' अर्थात आत्मा, समृद्धि और अच्छे कर्मों को बढ़ाना चाहिए। इससे न केवल हमारा अपना जीवन बेहतर होता है, बल्कि दूसरों की भलाई में भी योगदान मिलता है। यही मुख्य कारण था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के लिए 'कृण्वंतो विश्वमार्यम्' को आदर्श वाक्य घोषित किया। यहां आर्य शब्द का तात्पर्य किसी विशेष जाति, मत या पंथ से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है एक गुणी व्यक्ति। जैसा कि कहा गया है।

कर्त्तव्यमनाचरण कर्म, अकृतव्यमनाचरण। विष्ठति प्रकृतिचारे ये स आर्य स्मृतिः
(वसिष्ठ स्मृति)

अर्थात् जो व्यक्ति केवल प्रशंसनीय कार्य करता है, परंपराओं को उच्च सम्मान देता है और उनका पालन करता है। हानिकारक आदतों और कार्यों को नहीं अपनाता बल्कि उनसे दूर रहता है तथा स्वभाव से ही दयालु होता है, उसे ही आर्य कहा जाता है।

क्रांति को शास्त्र का संबल

अपनी स्थापना के 150 वर्षों में आर्य समाज ने राष्ट्र के स्वाधीनता और निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया। क्रांतिदर्शी स्वामी दयानंद द्वारा रचित क्रांतिकारियों की गीता के नाम से विख्यात अमर ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' को पढ़कर कितने ही स्वाधीनता के दीवानों ने अपना सर्वस्व स्वाधीनता संग्राम के महायज्ञ में आहूत कर दिया। इतिहासकारों को स्वीकार करना पड़ा कि स्वाधीनता संग्राम में 80 प्रतिशत क्रांतिकारी स्वामी दयानंद के आर्य सिद्धांतों से प्रभावित थे। स्वराज का प्रथम उद्घोष स्वामी दयानंद ने ही दिया था। स्वदेशी राज्य को सर्वोत्तम – सर्वोपरि बताकर उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में शास्त्र का संबल देकर इस संग्राम को बल दिया था। स्वामी दयानंद ने जीवनपर्यंत केवल स्वदेशी का ही प्रयोग किया और आर्य समाज ने इस सिद्धांत को अपना कर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया।

सामाजिक समरसता को बल

'मनुष्य एक जाति' का सिद्धांत और वेदों में 'कर्मणा वर्ण व्यवस्था' को स्थापित करते हुए आर्य समाज ने सामाजिक समरसता को बल देकर जाति व्यवस्था को विघटनकारी और देश की गुलामी का कारण बताया। 'कर्मणा वर्ण व्यवस्था' को स्वीकार करते हुए आर्य समाज ने कितने ही दलितों को अपने गुरुकुलों में शिक्षा देते हुए विद्वान बनाकर पुरोहितों के रूप में सम्मानित करके दलितोद्धार किया। दलितों के साथ रोटी–बेटी का संबंध बनाया। यही नहीं, आर्य समाज ने क्रूर औरंगजेब द्वारा तलवार के बल पर धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बनाए गए लोगों की घर वापसी का रास्ता शुद्धिकरण के माध्यम से सुनिश्चित किया। इसके सदस्यों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्र विशेषकर मेवात में सामूहिक यज्ञ के माध्यम से घर वापसी करवाई और इसके लिए अपना जीवन तक बलिदान किया।

भाषा–संस्कृति का पुनर्जागरण

लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव में आकर हमारा राष्ट्र अपनी पुरातन–सनातन वैदिक संस्कृति की जड़ों से कट चुका था। बड़े से बड़ा वटवृक्ष भी जब अपनी जड़ों से कट जाता है तो सूखकर ठूंठ बन जाता है और गिर पड़ता है। आर्य समाज ने सनातन संस्कृति को सत्य वैदिक सिद्धांतों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। देव भाषा संस्कृत का संरक्षण और वेदों का सही विशुद्ध हिन्दी भाष्य आर्य समाज की ही देन है। जन–जन की भाषा हिंदी का प्रचार–प्रसार करने का महत्वपूर्ण कार्य स्वामी दयानंद और अन्य आर्य विद्वानों द्वारा किया गया। एक तरफ तो आर्य समाज ने यज्ञ तथा योग की जीवन शैली को बढ़ावा देकर स्वस्थ भारत की परिकल्पना दी। वहीं भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधार गौ के संरक्षण की बात स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक 'गौ करुणानिधि' में लिखी और गौशालाओं का निर्माण करवाया। इसी प्रकार आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद ने अपना सर्वस्व त्याग करते हुए गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित किया।

कुरीतियों के विरुद्ध कानून

देश की आधी आबादी अर्थात नारियों को पढ़ने विशेष रूप से वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने से वंचित कर दिया गया था। नारी शिक्षा की वकालत करते हुए और नारी शिक्षा प्रारंभ करते हुए आर्य समाज ने नारियों को उनका पुराना गौरव प्रदान करवाया। आर्य समाज ने दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी नारी विरोधी बुराइयों का विरोध किया। आर्य समाज के कारण ही इनके विरोध में कानून बने। उदाहरणस्वरूप शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था। यह अधिनियम हरविलास शारदा, जो आर्य समाज के सदस्य थे, के प्रयासों का परिणाम था।

सभारः– दैनिक जागरण
06 अप्रैल, 2025

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अनिवार्य रुप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागजात

1 सामान्य आदेश/General Orders
2 संकल्प/Resolution
3 परिपत्र/Circulars
4 नियम/Rules
5 प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन/ Administrative or other reports
6 प्रेस विज्ञप्तियाँ /Press Release/ Communiques
7 संविदाएँ /Contracts
8 करार/Agreements
9 अनुज्ञप्तियाँ /Licences
10 निविदा प्रारुप/Tender Forms
11 अनुज्ञा पत्र/Permits
12 निविदा सूचनाएँ /Tender Notices
13 अधिसूचनाएँ /Notifications
14 संसद के समक्ष रखे जाने वाले/प्रतिवेदन तथा कागज पत्र/ Reports and documents to be laid before the Parliament

राजभाषा हिन्दी के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण

(I) क्षेत्र क–बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।

(ii) क्षेत्र ख–गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

(iii) क्षेत्र ग–खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वर्ष 2025–2026 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई–मेल सहित)	1.क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2.क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3.क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4.क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 100%	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य के क्षेत्र कार्यालय/व्यक्ति 60%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं एवं सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिन्दी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई–पुस्तक, ई–हिन्दी समाचार पत्र सीडी/डीवीडी, पैन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलैक्ट्रोनिक उपकरणों जिनमें कम्प्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाए।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केन्द्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 02 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिन्दी में हो	45%	35%	25%